बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 8/6/15

संचिका सं0–17 / ए 2–7 / 2014...338 (17).................. / स्वा0 / विभागीय अधिसूचना संख्या–148(17) दिनांक–20.03.2015 द्वारा डा0 जियाउर रहमान आजाद, सहायक प्राध्यापक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई0जी0आई0एम0एस0) शेखपुरा, पटना, को न्यूरोलॉजी (सुपरस्पेशलिटी) विभाग के सह प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा सह प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा इनकी 70 वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त करते हुए पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में पदस्थापित किया गया था के पदस्थापन स्थान को एतद् द्वारा परिवर्तित करते हुए, उपरोक्त शर्ताधीन नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. संविदा पर चयनित चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से तुरत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

3. विभागीय संकल्प संख्या–1267(17) दिनांक–28.11.13 में निहित प्रावधान / अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा। मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आबंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

4. योगदान के समय सह प्राध्यापक के लिए निर्धारित अहर्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे । आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा । विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे ।

5. नियुक्ति संबंधी शर्तें :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित चिकित्सक से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–17/ए 2–7/2014- 338 (17) **पटना, दिनांक–** 8/ 6 **/2015**

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : – प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना से अनुरोध है कि नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षक का योगदान स्वीकार कर उसकी सूचना फैक्स/विशेष दूत के माध्यम से विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(श्री शर्मा)/संबंधित जिला पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा–17)/निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को सूचनार्थ एवं बेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

R.n.k.Sir/AssociateProf, Professor Appointment